न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0 192/2024

गंगाराम पुत्र किस्तूराराम वगैरा
बनाम
मांगीलाल पुत्र रामरख वगैरा

दिनांक 27.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी लोहावट (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 27/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.1.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 7–प्रार्थी–मांगीलाल वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील लोहावट स्थित ग्राम पल्ली द्वितीय के ख0नं0 1370/2 रकबा 3.6826 हैक्टर भूमि, की पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 7–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आग्रह किया कि वादग्रस्त भूमि के पडौस में अप्रार्थीगण व अन्य प्रत्यर्थीगण–अपीलांट्स के खेत खसरा नं0 1368/1, 1368/2 व 1370 स्थित है। जिसके सेढा–सेढ के खातेदारों के मध्य आपस में विवाद को खत्म करने ख0नं0 1370/2 की पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के नोटिस सम्यक रूप से तामिल करवाये बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरएलआर एक्ट की धारा 111 व 128 के प्रावधानों की अनदेखी की गई है तथा बिना पैमाईश रिपोर्ट व निर्विवाद सीमांकन रिपोर्ट के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। पत्थरगढी के आदेश में कब्जे में परिवर्तन नही किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 3 व 6 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण–अपीलांट्स की तामिली हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित नोटिस की डाक रसीदें दिनांक 14.10.23 मौजूद है, इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादग्रस्त खसरान की पैमाईश की गई, वक्त पैमाईश अप्रार्थी–अपीलांट्स सहमत नही से मौके पर खुटे व तारबंदी

नही की जा सकी तथा इनके द्वारा पैमाईश रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही किए गये। इसलिए रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु विधिवत पैमाईश व पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार लोहावट को वादग्रस्त खसरान की भूमि का राजस्व टीम गठित करवाकर नियमानुसार सीमांकन व पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादग्रस्त खसरान की मौका फर्द सीमांकन रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण–अपीलांट्स को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित नोटिस की डाक रसीदें दिनांक 14.10.23 मौजूद है। अतः वकील अपीलांट्स का यह कथन मानने योग्य नही है कि अपीलाधीन आदेश बिना सीमांकन रिपोर्ट के तथा बिना सम्यक तामिली के पारित किया गया है। अतः इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 27/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.1.24 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 27..**11.2024** को खुले न्यायालय सुंनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

27.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर